

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं. 96/2010

निर्णय दिनांक 29.1.2010

उनवान:- राज लाल शर्मा

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का चिमाचौ ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 901 रकबा 1-0 बीघा किरम का.शौ.

बारे ग्राम चिमाचौ पर राज लाल शर्मा पुत्र श्रीधर

जाति भोज निवासी चिमाचौ तहसील बाड़ी

ने सम्बर क.श.प. रबी/खरीफ में फसल का.शौ. कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी.....आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी राज लाल शर्मा पुत्र श्रीधर

जाति भोज निवासी चिमाचौ को आ. ख. नं. 901

रकबा 1-0 बीघा वारे ग्राम चिमाचौ से तुरन्त प्रभाव से

बेदखसल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 2257 (अक्षरे

रुपये दो हजार दो सौ आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 29-1-2010 को

श्रुते इजलास पढकर सुनाया गया।

भाग 225 का क्रम 13
 रजिस्ट्रार के पृष्ठ क्रमांक ...
 की क्रम संख्या ... पर किया गया है।
 दिनांक 16/1/10
 तहसीलदार

राज लाल शर्मा
 तहसीलदार
 तहसील बाड़ी (बालपुर) राज